

कार्यालय तहसीलदार, अनूपशहर।

पत्रांक—: 141016/

दिनांक—: 22/6/15

प्रेस-विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि तहसील अनूपशहर के क्षेत्रान्तर्गत स्थित निम्नलिखित ग्रामों के तालाबों को मत्स्यपालन हेतु दस वर्षीय पटटे पर उठाने के लिये तहसील प्रांगण में स्थित तहसीलदार, अनूपशहर के न्यायालय में दिनांक 28.06.2015 को प्रातः 11.00 बजे पटटा शिविर का आयोजन किया जायेगा। पटटा शिविर में पटटा आवंटन की कार्यवाही शासनादेश संख्या 3756-1-2/95-रा0-2 दिनांक 17.10.1995 के आधार पर पंजीकृत मछुआ समितियों/समुदाय/अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। इच्छुक पात्र व्यक्ति निर्धारित स्थान, तिथि व समय पर उपस्थित होकर आवंटन की कार्यवाही में भाग लेने हेतु उपस्थित हो। उपस्थित व्यक्तियों में से नीलामी की बोली के आधार पर मत्स्य पालन आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। पटटा स्वीकृति/अस्वीकृत का पूर्ण अधिकार उप-जिलाधिकारी महोदय, अनूपशहर को होगा।

ग्रामों की सूची जिनमें मत्स्यपालन हेतु तालाब/पोखर उपलब्ध है

क्रम सं०	विकासखण्ड का नाम	नाम ग्राम	गाटा सं०	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
1	अनूपशहर	दुगरऊ	70	1.518
2	अनूपशहर	बिरौली	262स	0.948
3	जहाँगीराबाद	बदरखा	385/2	1.417
4	जहाँगीराबाद	कारौजी	116	0.797
5	जहाँगीराबाद	खदाना	376	0.778
6	जहाँगीराबाद	भिरौली	251	1.645

तहसीलदार,
अनूपशहर।

पत्रांक—: /र0का10

तददिनांक—:

प्रतिलिपि—:

1. जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. उप-जिलाधिकारी महोदय, अनूपशहर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. उप-जिलाधिकारी/तहसीलदार, सिकन्द्राबाद/खुर्जा/स्याना/डिबाई/शिकारपुर/बु0शहर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. सहायक निदेशक, मत्स्य, बुलन्दशहर की सेवा में सादर सूचनाथ्र प्रेषित।
5. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, बुलन्दशहर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त विज्ञप्ति को ऑन लाईन डालने का कष्ट करें।
6. अपर जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर को उक्त विज्ञप्ति स्थानीय, दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित।
7. राजस्व निरीक्षक, अनूपशहर/जहाँगीराबाद को इस निर्देश के साथ कि वह अपने क्षेत्र से सम्बन्धित समस्त ग्रामों के लेखपालों को इस विज्ञप्ति का प्रचार-प्रसार अपने-अपने ग्रामों में कराने तथा मुनादी की प्रति निर्धारित पटटा शिविर की तिथि को प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।
8. सम्बन्धित ग्राम सभा प्रधान/अध्यक्ष, भूमि प्रबन्धक समिति को सूचनार्थ।

तहसीलदार,
अनूपशहर।